



SHILPA CHANDEL

क्रमांक : प.सुगम/जा.प./2014 / 5328

दिनांक 26/08/2014

जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि

प्रार्थी श्री/सुश्री/श्रीमति

पुत्र/पुत्री

निवासी

जिला/निविजन

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रार्थी/प्राणी जाति/समुदाय

का ही श्रेणी निम्नांकित अनुसार

जो अनुसूचित जाति

शुभागी चन्देल

शिवराज चन्देल

के०पाटन

बून्दी

राज्य/संघ राज्य- राजस्थान

की सूची संख्या में क्रम सं.

अनुसूचित जाति

के रूप मान्यता दी गयी है।

36 पर दर्ज है-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950

संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951

संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियां (संशोधन) आदेश 1956

राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1965,

हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 उत्तरपूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति तथा-

अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किए गए अनुसार

संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956

अनुसूचित जाति तथा जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान-

अनुसूचक तथा निजीदार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959

संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962

संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1962

संविधान (पांडीचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964

संविधान (अनुसूचित जनजाति) उत्तरप्रदेश, आदेश 1967

संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968

संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968

संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1973

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1976

संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन अधिनियम, 1991

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश द्वितीय संशोधन अधिनियम, 1991

श्री/सुश्री/श्रीमति

जाति

जिला/निविजन

शुभागी चन्देल

खटीक

बून्दी

पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

राज्य राजस्थान में साधारण तौर से निवास करते हैं।

शिवराज चन्देल

के०पाटन

बून्दी

स्थान : कंचावन

दिनांक : 26/08/2014

हस्ताक्षर
कार्यालय तहसीलदार
के०पाटन, जिला बून्दी

यहाँ प्रस्तुत दूरे "साधारण तौर-से निवास" शब्दों का अर्थ वही होगा जो जनप्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।